1668
21.12.16

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक पं. 1(28)शिक्षा–6/2015/Transfer जयपुर, दिनांक :– 19.12.2016

–: संशोधित आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.10.2016 एवं 10.10.2016 द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग (महाविद्यालय शाखा) के प्राचार्य/प्रोफेसर/व्याख्याताओं के जारी पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेशों में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा क्रमांक पं.5(1)/प्रसु/सम/अनु–1/2008पार्ट दिनांक 13.12.2016 के क्रम में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशों में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्य हित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं,

राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7(3)FD(Rules)/98 dated 02.08.2005 & F.12(6)FD(Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा।

sd/–

(आभा बेनीवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया संस्कृत शिक्षामंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त संशोधित आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. संबंधित कार्मिक, द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव